

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्न प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) संस्कृत के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम प्राध्यापक (शिवर्गी/श्रीवर्गी)	कहाँ से	जिला	कहाँ को	जिला
1	ANJUL SEHGAL	GOVT SR. SEC. SCHOOL AJAYRAIPURA	JAIPUR	GOVT GIRLS MAHR.SR. SEC.SCH.BANIPARK	JAIPUR
2	INDU GUPTA	GOVT GIRLS MAHR.SR. SEC.SCH.BANIPARK	JAIPUR	GOVT SR. SEC. SCHOOL AJAYRAIPURA	JAIPUR
3	Kalkash Chand Lata	UNDER TRANSFER FROM SHAHEED. S.R. KUMAWAT AND K. L. TAMBI GOVT. SR. SEC. SCHOOL, PALSANA, (SUKAR) TO GOVT. HR. SEC. SCHOOL SAWAIPUR, KOTRI (BHILWARA)	BHILWARA	GOVT. SR. SEC.SCH., GURARA,GURARA,GURARA (219177)	SUKAR

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। क्रम संख्या 02 पर अंकित कार्मिक को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा। जिन कार्मिकों का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। RVRBS कार्मिकों को नगर नियम/नगर परिषद्/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे एवं निदेशालय को सूचित कर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावे। एन.ए.क. योग्यताधारी कार्मिकों को ही आई.टी. में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराया जावे। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण कराकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।




(नमनल डिपेंड)

आई.एस.सी.  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविच-मध्य/संस्था/सी-1/संस्कृत/स्थानान्तरण/2019-20 दिनांक- 29/09/19

- प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. सिविलिट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मं.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
  2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
  3. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
  4. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक
  5. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही जून दिवस के भीतर सम्पादित कराकर निदेशालय को भगति देवे।
  6. सम्बन्धित शाला/संस्था प्रभान को प्रेषित कर निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।
  7. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय राजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की प्रताही भोभितरिम करें।
  8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विमानिक वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
  9. सम्बन्धित कार्मिक
  10. रक्षित पत्रावली

  
निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर